दिनांक 19.08.2017 को उप विकास आयुक्त, गिरिडीह की अध्यक्षता में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व अन्य योजनाओं का आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति पंजीकृत -

उप विकास आयुक्त, गिरिडीह द्वारा बैठक में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय अभियंता, प्रखण्ड समन्वयक, PMU एवं PMAY-G सहायकों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई -

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत सर्वप्रथम पंजीकरण, जियो टैग, स्वीकृत आवास, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय किस्त एवं चतुर्थ किस्त की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Sanction एवं 1st Installment के बीच धनवार एवं सरिया प्रखण्ड को छोड़कर निम्न प्रकार से Gap है :-

Sl. No.	Block	Gap tar & 1st Installment
1	Bagodar	24
2	Bengabad	29
3	Birni	09
4	Deori	09
5	Dumri	37
6	Gandey	20
7	Gawan	49
8	Giridih	74
9	Jamua	02
10	Pirtand	58
11	Tisri	19

सबसे ज्यादा Gap प्रखण्ड गिरिडीह में है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G एवं संबंधित सहायक पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया। साथ ही जिले से गिरिडीह प्रखण्ड के लिये प्रतिनियुक्त टैग ऑफिसर को स्थिति में सुधार लाने हेतु आगामी सोमवार को प्रखण्ड जाने का निदेश दिया गया।

प्रखण्ड- पीरटांड में Gap की संख्या 58 है इस पर प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G द्वारा बताया गया कि 01 रूम वाला कच्चा मकान के लाभुक उपलब्ध नहीं है। इस पर निदेश दिया गया कि पंचायत सेवक एवं मुखिया से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए 02 रूम वाला कच्चा मकान के लाभुकों को आवास आवंटित करने हेतु जिला से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पत्र समर्पित करें।

प्रखण्ड- गावाँ में Gap की संख्या-49 है। इस पर प्रखण्ड समन्वयक PMAY-G द्वारा बताया गया कि 15 लाभुकों का जियो टैग करा दिया गया है। 04 लाभुकों के पास जमीन उपलब्ध नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि मंगलवार तक दिख रहे Gap को समाप्त करना है।

सभी प्रखण्ड समन्वयक, PMAY-G को चेतावनी दी गयी कि टाईम लाईन के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें। पूर्व में Inspection Format Design करने का निदेश दिया गया था जिसमें तिथिवार ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, स्वयंसेवक को पर्यवेक्षक के साथ टैग करते हुए क्षेत्र भ्रमण के लिये भेजना है और शाम को सभी से प्रतिवेदन प्राप्त करना है। प्राप्त प्रतिवेदन का संकलन कर समेकित प्रतिवेदन जिला को ई0मेल अथवा वाट्सएप के माध्यम से भेजा जाना है परन्तु इस दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हो रही है। यह अत्यंत खेद का विषय है इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड समन्वयक को निदेश दिया गया कि Inspection Report ससमय प्रतिदिन जिला को समर्पित करें। अन्यथा प्रखण्ड समन्वयक कार्यमुक्त होंगे।

Active स्वयंसेवक को Filter करें, इसकी सूची बनायें और स्वयं सेवक के मोबाईल पर आवास एप डाउनलोड करायें जिससे कि स्वयं सेवक आवास योजनाओं का जियो टैग ससमय कर सके। स्वयंसेवक को बताया जाना है कि जियो टैग करने के पश्चात् लाभुकों के खाते में राशि स्थानांतरित होने के उपरान्त स्वयंसेवक के खाते में भी 120/- रू0 हस्तांतरित किया जायेगा। 120/- रू0 में 20/- रू0 जियो टैग की राशि होगी।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 31 अगस्त तक छत ढलाई पूर्ण कराते हुए तृतीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे। तृतीय किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना में महत्वपूर्ण किस्त है। इसके बाद प्लास्टर एवं रंग रोगन के लिये अगले किस्त का भुगतान किया जाता है। यदि लाभुकों को तृतीय किस्त का भुगतान ससमय होता है तो आवास के पूर्णता में तेजी आयेगी। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रत्येक लाभुक के पास जाना है और आवास निर्माण हेतु उन्हें प्रेरित करना है।

प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी आवास योजना के लाभुकों को मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसे-जैसे आवास योजना में कार्य होता जा रहा है, ठीक उसी प्रकार शौचालय की योजना में भी कार्य होना है। मंगलवार तक शौचालय स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करेंगे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रधानमंत्री आवास योजना को हर हाल में 15 सितम्बर,2017 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निबंधन,जियो टैग स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त का शत प्रतिशत FTO करना सुनिश्चित करेंगे।

लम्बित इन्दिरा आवास

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक लम्बित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रखण्ड-बेंगाबाद,देवरी एवं तिसरी

लम्बित इन्दिरा आवास की संख्या ज्यादा है। यदि 07 दिनों के अन्दर तीनों प्रखण्डों में लम्बित इन्दिरा आवास पूर्ण नहीं किये जायेंगे तो तीनों प्रखण्डों के सहायकों को बर्खास्त किया जायेगा। समीक्षा के क्रम तिसरी प्रखण्ड के सहायक पर कारणपृच्छा करने का निदेश दिया गया ।

सभी सहायक अपने-अपने प्रखण्डों में लम्बित इंदिरा आवास की समीक्षा करें। शौचालय के लिये जो आवास लम्बित पड़े हैं वैसे आवासों में प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर मनरेगा से शौचालय स्वीकृत कराकर आगामी मंगलवार तक कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा 1000/- 1000/- रू0 अर्थदण्ड Impose किये जायेंगे।

आवास निर्माण योजना में आगामी मंगलवार तक शौचालय की योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को कार्यमुक्त किया जायेगा एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग, राँची को कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी।

जनसंवाद

मनरेगा सेल में प्राप्त शिकायत को ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची द्वारा आर0डी0डी0 पोर्टल पर अपलोड किया गया हैं। प्राप्त शिकायतों को मुख्यमंत्री जनसंवाद डाला जायेगा। यह शिकायत मुख्यतः रोजगार और मनरेगा से संबंधित है। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इसके लिये जिम्मेवार हैं। प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी इस पर ध्यान दें। प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादित कर अपलोड करें और इसकी प्रति जिले को समर्पित करें। जनसंवाद के मामले को Delegate न करें। एक सप्ताह के अन्दर जनसंवाद के सभी मामले Dispose करें और Quality Disposal करें। जनसंवाद के मामले को निष्पादित करने में अगर ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, मुखिया, कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता लापरवाही बरते हैं तो संबंधित पर Fine impose करें।

अभिकरण कार्यालय में मुख्यमंत्री जनसंवाद हेतु श्री नीरज कुमार बरहपुरिया, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, गिरिडीह नोडल पदाधिकारी हैं। जनसंवाद के मामले के निष्पादन में अगर किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो सीधे अधोहस्ताक्षरी या नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।

मनरेगा

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 202 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण है जबकि 125 आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना का ही MIS में Close किया गया है। MIS के लिये प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पूर्ण रूपेण जिम्मेवार हैं। कुल 611 योजना का ढलाई कार्य पूर्ण

हैं इसे जल्द से जल्द पूर्ण कराते हुए MIS में बंद कराने का निदेश दिया गया। हर हाल में 15 सितम्बर,2017 तक आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

आँगनबाड़ी भवन निर्माण योजना में धीमी प्रगति के कारण बगोदर, बेंगाबाद, बिरनी, धनवार, गाण्डेय एवं पीरटांड प्रखण्ड के कनीय अभियंताओं पर 1,000/- 1,000/- रू0 का अर्थदण्ड लगाया गया। साथ ही प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अर्थदण्ड की राशि वसूल कर आगामी मंगलवार अभिकरण कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा अगले दो दिनों में समस्त राशि प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के मानदेय से वसूली जायेगी।

डोभा निर्माण

डोभा निर्माण योजना के समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि 2 फीट एवं 4/ फीट डोभा निर्माण योजना को शून्य करना है। 6 फीट एवं 8 फीट डोभा निर्माण योजना को यथाशीघ्र पूर्ण करना है। प्रखण्डवार प्रतिदिन Close करने का लक्ष्य दिया गया।

क्र0सं0	प्रखण्ड	लक्ष्य
1	गिरिडीह	25
2	बेंगाबाद	20
3	गाण्डेय	20
4	पीरटांड	25
5	डुमरी	30
6	बगोदर	25
7	सरिया	25
8	धनवार	20
9	जमुआ	20
10	बिरनी	20
11	देवरी	25
12	तिसरी	20
13	गावाँ	25

यदि प्रतिदिन के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित पर 500/- रू0 प्रतिदिन Fine impose किये जायेंगे। समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रति सप्ताह डोभा निर्माण योजना को पूर्ण करते जाय और डोभा निर्माण योजना में बाँस की घेराबंदी भी सुनिश्चित करायें।

Daily Check list for MGNREGA Works

Average Work Per Village के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि देवरी, गाण्डेय, गिरिडीह, गावाँ एवं तिसरी प्रखण्ड की स्थिति अत्यंत खराब है। इन प्रखण्डों में Average Work per Village 01 से कम है। इस पर रोष व्यक्त करते

एवं संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 500/- 500/- रू0 अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड की राशि को आगामी मंगलचार तक अभिकरण कार्यालय में जमा करने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रत्येक ग्रामों में मनरेगा की 05 योजना क्रियान्वित रहनी चाहिए। इसके लिये प्रत्येक पंचायत में 25 NADEP एवं 25 वर्मी कम्पोष्ट की योजना ली जाय। अगर आगामी बैठक में किसी भी पंचायत में यह अनुपात कायम नहीं रहा तो प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 1,000/- रू0 अर्थदण्ड लगाया जायेगा। NADEP एवं वर्मी कम्पोष्ट की योजना के अलावे IHHL, 30X40 Model, Plantation, Shed, Land Laveling की योजना स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ करायें। आवश्यकतानुसार मिट्टी मोरम की योजना भी कार्यान्वित करायें।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि नीचे दिये गये प्रपत्र में प्रतिदिन J.E. Wise प्रतिवेदन समर्पित करेंगे :-

Name of JE :_____ Mobile No:_____

Block :_____ Allotted Gram Panchayat :_____

Name of GP	No. of AWC		No. of Dobha		IHHL		NADEP		Vermi Compost		Road (Morrum)		Other	
	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.	Started	Comp.

_____

Signature of JE

DBT

DBT के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेंगाबाद,डुमरी,गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्डों की स्थिति अच्छी है। इन प्रखण्डों में 90 से ऊपर % है। शेष प्रखण्ड भी इसके आस-पास हैं, थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। मात्र 17,886 डी0बी0टी0 लंबित है। आगामी बैठक तक इसे हर हाल में पूरा कर लिया जाना है। इसमें जिस प्रखण्ड से चुक होगी उस प्रखण्ड के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर 1,000/- रू0 अर्थदण्ड वसूल की जायेगी।

जियो टैगिंग

जियो टैगिंग के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि Complete work एवं जियो टैग के बीच बेंगाबाद, बिरनी, देवरी, डुमरी, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड, सरिया एवं तिसरी की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि दो-से-तीन दिनों के अंदर शत प्रतिशत जियो टैग करना सुनिश्चित करें। अन्यथा अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

Scheme pending

Scheme pending की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की सभी योजना को एम0आई0एस0 में

बन्द करें। पूर्व के सप्ताहिक बैठकों में भी लगातार निदेश दिये जाते रहे हैं परन्तु निदेश के बावजूद भी बेंगाबाद,बिरनी, देवरी,डुगरी, गाण्डेय, गावाँ, गिरिडीह, जमुआ, पीरटांड,सरिया एवं तिसरी प्रखण्डों में लम्बित योजना की संख्या ज्यादा है। आगामी बैठक में यदि यही स्थिति रही तो संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

Job Card Verification

Job Card Verification के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। गत बैठक में भी इस पर रोष व्यक्त किया गया था। पुनः इस पर रोष व्यक्त करते हुए सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी को शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया।

Delayed Payment

Delayed Payment के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेंगाबाद, धनवार, देवरी, गाण्डेय, डुगरी, गावाँ, गिरिडीह एवं तिसरी प्रखण्डों का आँकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन प्रखण्डों में 5 प्रतिशत से 12.6 प्रतिशत तक पहुँच गया है। इस पर रोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में Delayed Payment का आँकड़ा 5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। समीक्षा के क्रम में कई गत बैठक में निदेश दिया गया था कि पूर्व में दिये गये आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं हुआ है। प्रखण्ड नजारत में अब तक वसूल कर जमा की गई राशि का ब्यौरा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 07 दिनों में जमा करेंगे। प्रत्येक **Delay Payment** के लिए योजनावार निम्न प्रकार से Fine impose किए जायेंगे –

कम्प्यूटर ऑपरेटर	– 100/–
ग्राम रोजगार सेवक	– 100/–
कनीय अभियंता	– 500/–
पंचायत सेवक	– 500/–
मुखिया	– 500/–
प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	– 500/–
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	– 1000/–

यदि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा संबंधित से **Delay Payment** हेतु 05 दिनों के अन्दर अर्थ दण्ड लगाकर राशि वसूल नहीं कि जाती है तो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के ऊपर 1,000/– का अर्थदण्ड लगेगा और राशि वेतन से काटी जाएगी। इसका सख्ती से पालन किया जाय परन्तु अब तक जिले में राशि जमा नहीं की गयी है। अगर आगामी मंगलवार तक प्रखण्ड से वसूल की गयी राशि जिले में जमा नहीं की जाती है तो संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा सुधार विभाग, राँची को कार्रवाई करने की अनुशंसा की जायेगी। साथ ही संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यमुक्त होंगे।

Watershed

पूर्व में Watershed की योजना Watershed Committee द्वारा क्रियान्वित की जाती थी। वर्त्तमान में इसका क्रियान्वयन मनरेगा से किया जायेगा। इसके अन्तर्गत 09 योजना हैं

जिसमें 04 योजना Ongoing है तथा 05 योजना का डी0पी0आर0 तैयार है। इसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी श्री राम बिलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 एवं श्री दिलीप देव, तकनीकी विशेषज्ञ हैं।

जलछाजन योजनान्तर्गत प्रखण्ड बेंगाबाद,बिरनी,धनवार तथा सरिया में अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराने हेतु संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी तथा कनीय अभियंता को निदेश दिया गया। सभी संबंधित कनीय अभियंता को प्राक्कलन के संबंध में तकनीकी विशेषज्ञ, श्री दिलीप देव द्वारा जानकारी दी गई है। दिनांक 22.08.17 को प्रखण्ड- बिरनी एवं दिनांक 23.08.17 को प्रखण्ड- धनवार में श्री राम बिलास, परियोजना पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0 एवं तकनीकी विशेषज्ञ, श्री दिलीप देव प्रशिक्षण देंगे।

अंत में सधन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह। 19.08.17

ज्ञापांक 2300 /अभि0,गिरिडीह, दिनांक 19 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः- सभी संबंधित सहायक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आवांटित प्रखण्डों से संबंधित मामलों का अनुपालन प्रखण्डवार अनुपालित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, गिरिडीह/जिला अभियंता, जिला परिषद्, गिरिडीह को अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि बैठक की कार्यवाही को जिले की वेवसाईट में Upload करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड के सभी वरीय पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गिरिडीह।
19.08.17